न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 रवीन्द्र कुमार
जमानत आवेदन सं0–271/2026
बरबीघा थाना कांड सं0–40/2026
बिहार राज्य बनाम् शंकर कुमार उर्फ शंकर सिंह उर्फ शाका।

शंकर कुमार उर्फ शंकर सिंह उर्फ शाका, पे0–स्व0 राजनन्दन सिंह, लगभग 42 वर्ष, साकिन–शेरपर, थाना–बरबीघा, जिला–शेखपुरा ....आवेदक।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री बिरेन्द्र कुमार, (Chief, LADCS) विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

26.03.2026 काराधीन अभियुक्त शंकर कुमार उर्फ शंकर सिंह उर्फ शाका की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। बरबीघा थाना कांड संख्या–40/2026 अंतर्गत प्राथमिकी धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में बिल्कुल निर्दोष है, बल्कि इन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 1. मिशन थाना सनहा सं0–52/2023, 2. बरबीघा थाना कांड संख्या–57/2024, 3. बरबीघा थाना कांड संख्या–86/2025 शराब पीने का मुकदमा दर्ज है। प्राथमिकी धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत शराब पीने का आरोप दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक निर्धारित तिथि पर न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा। आवेदक गरीब परिवार से संबंध रखता है और वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। आवेदक संपन्न व्यक्ति है, इसलिए उसके फरार होने की संभावना नहीं है और वह किसी भी उचित राशि का जमानत बांड देने के लिए तैयार है। आवेदक दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 रवीन्द्र कुमार
जमानत आवेदन सं0–271/2026
बरबीघा थाना कांड सं0–40/2026
बिहार राज्य बनाम् शंकर कुमार उर्फ शंकर सिंह उर्फ शाका।

लगातार

26.03.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है बरबीघा थाना दिनांक 26.02.2026 को समय करीब 10:00 बजे सशस्त्र बल के साथ दिवा गश्ती एवं अवैध शराब के विरूद्ध छापामारी में थाना से प्रस्थान किया। गश्ती के क्रम में समय करीब 14:30 बजे डायल 112 के पदाधिकारी पी0टी0सी0 भोला नंदन दास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम शेरपर में एक व्यक्ति शराब के नशे में हो–हल्ला कर रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए साथ के बल के साथ समय करीब 14:45 बजे ग्राम शेरपर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति नशे की हालत में हो–हंगामा कर रहा है। साथ के बल के सहयोग से उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम व पता का पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शंकर कुमार उर्फ शंकर सिंह उर्फ शाका, पे0 स्व0 राजनन्दन सिंह, लगभग 42 वर्ष, साकिन–शेरपर, थाना–बरबीघा, जिला–शेखपुरा बताया। पूछताछ के क्रम में उसके मुंह से शराब जैसा गंध आ रहा था। तत्पश्चात पकड़े गये व्यक्ति को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर अल्कोहल की मात्रा 221 mg/100ml पाया गया। तत्पश्चात शराब पीने की पुष्टि की सत्यापन हेतु पकड़ाये व्यक्ति को रेफरल अस्पताल बरबीघा में डॉक्टर के पास लेकर गया, जहॉ डॉक्टर द्वारा भी शराब सेवन करने की पुष्टि किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को शराब पीने की पुष्टि होने के उपरांत विधिवत नियमों का पालन करते हुए गिरफ्तारी मेमो बनाकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शंकर कुमार उर्फ शंकर सिंह उर्फ शाका, पे0 स्व0 राजनन्दन सिंह के विरूद्ध पूर्व में शराब पीने का तीन मुकदमा दर्ज है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। प्राथमिकी धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत चौथी बार शराब पीने का आरोप दर्ज किया गया है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू एवं DLSA, sheikhpura में मो0 1000/– रु0 की राशि की रसीद न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का एक जमानततार सगे–संबंधी होंगे एवं इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0 रवीन्द्र कुमार
जमानत आवेदन सं0—271/2026
बरबीघा थाना कांड सं0—40/2026
बिहार राज्य बनाम् शंकर कुमार उर्फ शंकर सिंह उर्फ शाका।

लगातार

26.03.2026

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 26—03—2026.

Date Of Judgement/Order	26—03—2026
Date Of Reserving Judgement/Order	26—03—2026
Uploading date	28—03—2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.